

प्रेसनोट
दिनांक- 25.09.2026

अपहरण कर हत्या करने वाले मामले में वांछित तीन नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, तीन अदद मोटर साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 25.09.2026 को बावला पुल के पास थाना मधुबन से मु0अ0सं0- 370/2026 धारा 3(5)/140(1)/103(1)/238 बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.रोशन प्रजापति उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र अवधेश प्रजापति निवासी टमठा दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ, 2.नागेन्द्र उर्फ ललई उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र परशुराम निवासी टमठा दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ, 3.आशीष सिंह उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र तेज प्रताप सिंह निवासी पचईपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

पूछताछ विवरण - दिनांक 18/09/2026 को सायं करीब 07 बजे दो बाइक से गुमशुदा/मृतक रंजीत, रोशन प्रजापति, नागेन्द्र उर्फ ललई और आशीष सिंह उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र तेज प्रताप सिंह निवासी पचईपट्टी थाना मधुबन रोशन प्रजापति की दो बाइकों से बेल्थरा बलिया, गुमशुदा रंजीत की बाइक पुलिस चौकी बेल्थरा बलिया में पकड़ी गई स्पलेंडर प्रो बाइक DL 3S CL 7307 को छुड़ाने गये थे और चौकी से उक्त स्पलेंडर बाइक को छुड़वाकर वापस घर को तीनों बाइकों से चारों लोग आ रहे थे कि नागेन्द्र और आशीष ने बताया कि गुमशुदा रंजीत को अपनी बाइक पर रोशन ने बैठा लिया और शेष दोनों बाइकों को दोनों लोग लेकर आने लगे कि रास्ते में जनपद बलिया में थाना उभांव अंतर्गत इंदौली पुलिया पर तीनों बाइकों को समय रात्रि करीब 10 बजे रोककर चारों लोग देशी शराब पिए और रोशन लात मुक्के से बुरी तरह गुमशुदा रंजीत को मारने लगा कि रंजीत पुलिया से नीचे पानी में कूद गया और इतने में रंजीत को बचाने के लिए नागेन्द्र भी कूद गया और गुमशुदा रंजीत की तलाश करीब पंद्रह बीस मिनट किया, परन्तु रंजीत मिला नहीं और तीनों वापस चले आए । करीब दो वर्ष पूर्व मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य करने वाला रोशन प्रजापति ने गुमशुदा रंजीत को 17,000/- रुपए देकर रंजीत की एक बाइक स्पलेंडर को अपने पास रख लिया और बार बार उक्त बाइक स्पलेंडर को अपने नाम से ट्रांसफर करने के लिए दबाव बना रहा था । परन्तु रंजीत द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था ।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0- 370/2026 धारा 3(5)/140(1)/103(1)/238 बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम

- 1.रोशन प्रजापति उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र अवधेश प्रजापति निवासी टमठा दुबारी थाना मधुबन, मऊ ।
- 2.नागेन्द्र उर्फ ललई उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र परशुराम निवासी टमठा दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ,
- 3.आशीष सिंह उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र तेज प्रताप सिंह निवासी पचईपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

- 1.दिनांक - 25.09.2026
- 2.स्थान - बावला पुल के पास थाना मधुबन ।

बरामदगी का विवरण

- 1.गुमशुदा/ मृतक रंजीत का शव इंदौली नहर द्वितीय पुलिया थाना उभाव जनपद बलिया से ।
- 2.तीन अदद मोटर साइकिल, जिन्हे 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 25.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः नन्दलाल गोंड पुत्र लालचन्द गोंड निवासी नसीराबाद, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, 2.छोटेला गोंड पुत्र लालचन्द गोंड निवासी: नसीराबाद खूर्द, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ ।

2.थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामानन्द सागर पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम नगरीपार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

_ *आज दिनांक 25.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस लाइन मऊ के सभागार कक्ष में समस्त थानों के न्यायालय पैरोकार व न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर न्यायिक सम्मन सेल / सम्मन सेल /मॉनीटरिंग सेल के समस्त कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई ।* _ बैठक में आपरेशन कन्विक्षन के मुकदमों की सघन पैरवी करके तथा महिला एवं बालिकाओं / चुनाव / राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता से सम्बन्धित अपराधों के मुकदमों की सघन एवं प्रभावी पैरवी करके और प्रदेश स्तर के चिन्हित माफियाओं के मुकदमें तथा अन्य गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों की सघन पैरवी करके अभियुक्तों की अधिक से अधिक सजा दिलाये जिससे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सके। मा०

न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन, बी०डब्ल्यू०, एनबीडब्ल्यू०, भरण-पोषण से सम्बन्धित आदि का तामीला कराकर समयावधि के अन्दर न्यायालय में उपस्थित करायें। बैठक के अंत में सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करने हेतु प्रेरित किया गया।